REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2021

एक लघु संसद के रूप में संसदीय समिति प्रणाली

डॉ. मनीष कुमार साव
सहायक प्राध्यापक– राजनीतिविज्ञान
शास.एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)

संदर्भ

संसद द्वारा पारित नए कृषि अधिनियमों ने सरकार और किसानों के बीच टकराव की एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है, हालॉकि सरकार कथित तौर पर इन अधिनियमों में सुधार के लिये तैयार हो गई है परन्तु किसानो की मांग है कि इन अधिनियमों को निरस्त कर दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो किसानों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद ही इसके लिये नए कानून बनाए जाएँ। संसद द्वारा पारित इन अधिनियमों को निरस्त किये जाने की मांग हाल के वर्षो में संसद में विधायी कार्यो के प्रबंधन में एक गंभीर चूक की तरफ संकेत करती है। विधायी कार्यो के प्रबंधन में हुई इन कमियों को अक्सर संसदीय समितियों को दरकिनार किये जाने और अध्यादेशों के प्रयोग में वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। चूँकि संसद लोकतंत्र की प्रतीक है, ऐसे में संसदीय कार्यप्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट की जांच करना और इसके प्रति लोगों के विश्वास को मजबूती प्रदान करना सरकार की जिम्मेदार है।

संसदीय समितियाँ पृष्ठभूमि :–

अपनी समितियों के माध्यम से विस्तृत जांच द्वारा कानूनों या उसके कुछ हिस्सों में सुधार करने हेतु संसद की ऐतिहासिक रूप से एक प्राचीन प्रथा रही है। वास्तव में ब्रिटिश संसद में यह प्रणाली 16वीं शताब्दी से ही लागू है। भारत में संसदीय जांच के इतिहास को मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford Reforms) से जोड़कर देखा जा सकता है। गौरतलब है कि केन्द्रीय विधानसभा जो कि ब्रिटिश भारत की संसद थी, ने तीन समितियाँ गठित की थी।

1} विधेयकों से संबंधित याचिकाओं पर समिति।
2} स्थायी आदेशों के संशोधन पर चयन समिति।
3} विधेयकों पर चयन समिति।

इस प्रकार देखा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में भी संसद ने सरकार द्वारा सदन में लाए गए विधेयकों की संसदीय जांच की आवश्यकता और उपयोगिता को स्वीकार किया था। स्वतंत्र भारत की संसद ने विधेयकों के साथ–साथ शासन के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये महत्वपूर्ण समितियों के एक विशाल तंत्र की स्थापना की। वर्ष 1993 मे विभाग संबंधी स्थायी समितियों (DRSCs) के गठन से पहले भारतीय संसद

द्वारा सरकार के महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों की विस्तृत जांच हेतु चयन समितियों और संयुक्त चयन समितियों का गठन किया जाता था।

संसदीय समिति प्रणाली का महत्व :–

अंतर–मंत्रालयी समन्वय : इन समितियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को देखने, उनसे जुड़े विधेयकों की जांच, उनकी वार्षिक रिपोर्ट और दीर्घकालिक योजनाओं पर विचार करने तथा संसद को रिपोर्ट करने का कार्य सौंपा जाता है। विस्तृत जांच का साधनः आमतौर पर संसदीय समितियों की रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत होती है और शासन से संबंधित मामलों पर प्रमाणिक जानकारी प्रदान करती है। इन समितियों से संदर्भित विधेयक महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन के साथ सदन में वापस आते है स्थायी समितियों के अलावा संसद के सदनों द्वारा विशिष्ट विषयों की जांच और उनकी रिपोर्ट करने के लिये तदर्थ समितियों (Adhoc Committees) का गठन किया जाता है, इन समितियों को किसी विधेयक का बारीकी से अध्ययन करने और सदन को वापस इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा जाता है। इसके अतिरिक्त इन समितियों को अपने कार्य के निर्वहन के दौरान विशेषज्ञ सलाह और सार्वजनिक राय प्राप्त करने का अधिकार होता है।

एक लघु संसद के रूप में कार्य :–

ये समितियों दोनो सदनों के सदस्यों (सांसदो) की छोटी इकाईयाँ होती है और ये सदस्य अलग–अलग राजनीतिक दलों से आते है। ये समितियां पूरे वर्ष कार्य करती है। इसके अलावा संसदीय समितियाँ लोकलुभावन मांगों को लेकर बाध्य नही होती है जो आमतौर पर संसद के काम में बाधा उत्पन्न करती है। चूँकि समितियों की बैठक बंद–दरवाजे के पीछे होती है और ऐसे में समितियों के सदस्य पार्टी व्हिप द्वारा बाध्य नही होते है, संसदीय समितियाँ बहस तथा चर्चा के लोकाचार पर कार्य करती है। इसके अलावा समितियाँ सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रहकर काम करती है और संसदीय कार्यवाही को संचालित करने वाले कोड, जो सदन के नए और युवा सदस्यों के लिये महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्था है, की तुलना में अनौपचारिक बने रहते है।

संसदीय समिति प्रणाली और सीमांकन :–

संसदीय समिति प्रणाली की अनदेखी : पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार, 14वीं लोंकसभा में 60प्रतिशत और 15वीं लोकसभा में 71प्रतिशत विधेयक संबंधित DRSCs को संदर्भित थे, जबकि 16वीं लोकसभा में ऐसे विधेयको का अनुपात घटकर 27प्रतिशत रह गया। DRSCs के अलावा सदनों की संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों को संदर्भित विधेयकों की संख्या भी नगण्य ही रही। संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया आखिरी विधेयक, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक 2015 था।

अध्यक्ष या स्पीकर की भूमिका :

किसी विधेयक को समितियों के पास भेजने का अधिकार सदन के स्पीकर या अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है। सदन के नियमें के अनुसार महत्वपूर्ण विधेयकों को विस्तृत समीक्षा के लिये समितियो के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालॉकि कई बार स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कई महत्वपूर्ण विधेयकों (जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव हो सकता है) को भी समिति के लिये संदर्भित नही किया जाता। उदाकरण के लिये हालिया कृषि विधेयक अध्यादेशों के माध्यम से अधिनियमित किये गए थे और इन्हे एक स्थायी समिति को भेजे बिना ही तीन दिनों के अंदर लोकसभा से पारित कर दिया गया।

आगे की राह :–

संसदीय समिति प्रणाली को पुनर्जीवित करना – संसद को व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अपनी समिति प्रणाली को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ब्रिटिश संसद की तरह ही भारतीय संसद को भी इस बात पर विशेष जोर देना चाहिये कि प्रत्येक विधेयक पर एक समिति द्वारा व्यापाक विचार–विमर्श किया जाए।

नियमों मे संशोधन और उत्तरदायित्व :– अध्यक्ष और स्पीकर द्वारा पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अलावा लोकसभा और राज्यसभा दोनो में प्रक्रिया के नियमों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को DRSCs को संदर्भित करने का प्रबंध किया जा सकें।
नई समितियों की स्थापना :– अर्थव्यवस्था और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ–साथ इससे जुड़े मामलों की जटिलता में वृद्धि को देखते हुए नई संसदीय समितियों की स्थापना की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए : संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में अतिव्यापी सभी मामलों का विश्लेषण करने के लिये संघीय मुद्दों पर एक स्थायी समिति की स्थापना। संसद में प्रस्तुत किये जाने से पहले संवैधानिक संशोधन विधेयकों की जांच हेतु संविधान से जुड़े मामलों की एक स्थायी समिति की स्थापना।

निष्कर्ष :

संसद की प्राथमिक भूमिका विवेचना, चर्चा और पुनर्विचार करना है, जो किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की पहचान है। हालॉकि संसद में विचार–विमर्श के लिये प्रस्तुत मामले बहुत ही जटिल होते है, जिसके कारण सदस्यों को इन्हे बेहतर तरीके से समझने के लिये तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार संसदीय समितियाँ सदस्यों को एक मंच प्रदान कर उनकी सहायता करती है जहां सदस्य विचार–विमर्श के दौरान संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर सकते है। संसदीय लोकतंत्र की बेहतरी के लिये संसदीय समितियों को दरकिनार करने के बजाय उन्हे मजबूत किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ सूची :–

1} सईद एस.एम. ''भारतीय राजनीति प्रणाली'' मेकमिलन दिल्ली 2003
2} सिंह महेन्द्र प्रताप, ''भारतीय षासन एवं राजनीति'' ओरिएन्टल ब्लैक स्वान प्राईवेट लिमिटेड नई दिल्ली 2011
3} सिंह एम.पी. राय, 'हिमांशु इंडियन, ''पोलिटिकल सिस्टम (स)'' मानक पब्लिकेशन नईदिल्ली 2006
4} त्यागी रूचि, ''भारतीय षासन एवं राजनीति'' मयूर पेपर बैंक नई दिल्ली 2001
5} डॉ. बसु डी.डी., ''भारत का संविधान एक परिचय'' वाधवा एण्ड कम्पनी नागपुर 2011